हैसियत से उस प्रधान सचिव को सम्बोधित की जाय। इस सम्बन्ध में ऐसा देखने में आया है कि अभी तक इस अनुदेश का मुख्य रूप से अनुपालन नहीं हो रहा है। जिसके कारण सम्बन्धित प्रधान सचिवों को समय पर कार्रवाई करने में असुविधा होती है। ऐसे पत्रों/परिपत्रों की प्रतियाँ उचित संख्या में नहीं भेजे जाने पर उसमें जो कार्रवाई अपेक्षित रहती है उसके अनुपालन में विलम्ब की संभावना हो जाती है। अत: कार्य के शीघ्र निष्पादन हेतु उचित प्रतीत होता है कि एक विभाग के प्रभारी प्रधान सचिव की सभी इकाइयों के लिए अलग-अलग पत्र/परिपत्र अवश्य भेजे जायँ। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि भविष्य में इस अनुदेश का अनुपालन हो।

विश्वसभाजन
(राम प्रकाश खन्ना)
मुख्य सचिव, बिहार।

संख्या ओ० एम०/आर०-1-080/74 ओ० एम०/644

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

कार्मिक विभाग/गृह (विशेष) विभाग।

पटना, दिनांक 6 सितम्बर, 1974

विषय :—राज्य सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector undertakings) उपक्रमों को दिये जानेवाले सरकारी निदेश।

महाशय,

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि अक्सर राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सरकार की ओर से पत्राचार करना पड़ता है। ये पत्राचार सुझाव के तौर पर भेजे जाते हैं। कभी-कभी सम्बन्धित परिनियमों के अधीन उन्हें निदेश भेजने की आवश्यकता होती है। यह निर्णय लिया गया कि कार्मिक विभाग या गृह विभाग से जो सुझाव या निदेश समय-समय पर निर्गत किये जाते हैं, उनके बारे में समुचित अभिलेख रखे जायँ। यह अभिलेखसंघटन एवं पद्धति प्रशाखा में रखे जाएँगे। अभिप्राय यह है कि जब-जब इस तरह के निदेश आदि निर्गत किये जायँ, सम्बद्ध प्रशासी विभाग को उनके अधीनस्थ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को तदनुसार आवश्यक पत्र भेजने का अनुदेश भेजा जायगा एवं भेजे गये अनुदेशों की प्रतियाँ साथ-साथ संघटन एवं पद्धति प्रशाखा को भेजने का आग्रह भी किया जायगा। संघटन एवं पद्धति प्रशाखा तदुपरांत अनुपालन प्रतिवेदन एवं भेजे गये निदेश आदि के अनुसार जो आदेश विभाग अपने अधीनस्थ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को निर्गत करें उनकी प्रतियों की प्रतीक्षा करेगी तथा समय पर उन्हें नहीं मिलने पर इसके लिये स्मार भेजेगी।

2. अनुरोध है कि इस ज्ञाप के अनुदेशों का पालन किया जाय।

3. कृपया इसकी प्राप्ति स्वीकार की जाय।

कीर्त्ति नारायण
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या ओ० एम०/आर-1-080/74/644/ |

पटना, दिनांक 6 सितम्बर, 1974

प्रतिलिपि कार्मिक विभाग तथा गृह (विशेष) विभाग को छोड़ अन्य सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित।

कीर्त्ति नारायण
सरकार के उप सचिव।